FORM-1
(For linear projects)
Government of Rajasthan
Office of the District collector KOTA
****

No./Rev.III/2017/ 1508 Dated 27.5.2017

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's Letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act. 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF,s letter dated 5th February 2013 whereing MoEF issued certain relaxation in respect of linear project. It is certified that 4.00 Hactares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer PHED KOTA (Name of user agency) for Borabas-Mandana Water Supply Project (purpose for diversion of forest land) in Kota district falls within jurisdiction villages in Ladpura tehsil. (Annexed)
It is further certified that -

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.00 hac. of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights Committee (s), Gram Mohalla Sabha (s), Sub-Divisional Level Committee (s), and the district Level Committee are enclosed as.
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram/Mohalla Sabhas have given the consent to it.
- The proposal does not involve recognized rights of Promotive Tribal groups an Pre-agricultural communities,

Encl; As above.

(Rohit Gupta)
District Collector & District Magistrate
Kota (Raj.)

Land for Land

कार्यालय जिला कलेक्टर कोटा
बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 19.05.2017 को 10.30 बजे जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 व नियम 2008 के अन्तर्गत कोटा शहरी क्षेत्र के म्यूनिसिपल क्षेत्र के लिए गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में निम्न सदस्यगण उपस्थित हुये।

1. उपवन संरक्षक कोटा ।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी , नगर निगम, कोटा।
3. श्रीमति सुनीता मीणा वार्ड पार्षद नगर निगम कोटा।
4. श्री रामलाल भील, वार्ड पार्षद नगर निगम कोटा।
5. श्रीमति रजिया पठान, वार्ड पार्षद नगर निगम कोटा।

बैठक में उपस्थित सदस्यों को उक्त अधिनियम की जानकारी दी गई। जिला कलेक्टर , कार्यालय कोटा के पत्रांक प. 17 (17)/राजस्व ाा/1407 दिनांक 17.05.2017 की पालना में इस बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अधिशाषी अभियंता जन स्वा. अभि. विभाग परियोजना खण्ड प्रथम कोटा द्वारा परियोजना की जानकारी दी गई। बोराबास–मण्डाना पेयजल परियोजना के अन्तर्गत डाली जाने वाली पाइप लाइन में आ रही वन भूमि (जिसकी अधिशाषी अभियंता जन स्वा. अभि. विभाग परियोजना खण्ड प्रथम कोटा से प्राप्त सूची संलग्न है, के अनुसार) , जो नगर निगम क्षेत्र कोटा में आती है, से संबंधित **अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 व नियम 2008 के अन्तर्गत कोई दावा इस जिला स्तरीय समिति शहरी क्षेत्र के म्यूनिसिपल क्षेत्र कोटा के समक्ष वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।** अतः बैठक में सर्वसम्मति से उक्त बोराबास–मण्डाना पेयजल परियोजना के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निर्णय लिया गया।
बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

जिला कलेक्टर
कोटा

क्रमांक:प. ( )राजस्व–ाा/16/ 1501
दिनांक 27–5–2017

प्रतिलिपीः–

1–उपवन संरक्षक कोटा ।
2–मुख्य कार्यकारी अधिकारी , नगर निगम, कोटा।
3–श्रीमति सुनीता मीणा वार्ड पार्षद नगर निगम कोटा।
4–श्री रामलाल भील, वार्ड पार्षद नगर निगम कोटा।
5–श्रीमति रजिया पठान, वार्ड पार्षद नगर निगम कोटा।

अति0जिला कलेक्टर
कोटा

Land for Land

कार्यालय जिला कलेक्टर कोटा

बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 19.05.2017 को 10.30 बजे जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 व नियम 2008 के अन्तर्गत कोटा जिला ग्रामीण क्षेत्र के लिए गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में निम्न सदस्यगण उपस्थित हुये।

1. उपवन संरक्षक कोटा।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिला परिषद कोटा।
3. श्रीमति मैना कुमारी सदस्य जिला परिषद कोटा। मैनाकुमारी
4. श्री जम्बू कुमार मीणा, जिला परिषद कोटा।
5. श्रीमति रेखा सदस्य , जिला परिषद कोटा।

बैठक में उपस्थित सदस्यों को उक्त अधिनियम की जानकारी दी गई। जिला कलेक्टर , कार्यालय कोटा के पत्रांक प. 17 (17)/राजस्व ााा/1407 दिनांक 17.05.2017 की पालना में इस बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अधिशाषी अभियंता जन स्वा. अभि. विभाग परियोजना खण्ड प्रथम कोटा द्वारा परियोजना की जानकारी दी गई। बोराबास–मण्डाना पेयजल परियोजना के अन्तर्गत डाली जाने वाली पाइप लाइन में आ रही वन भूमि (जिसकी अधिशाषी अभियंता जन स्वा. अभि. विभाग परियोजना खण्ड प्रथम कोटा से प्राप्त सूची संलग्न है, के अनुसार) , जो कोटा जिले के ग्रामीण क्षेत्र में आती है, से संबंधित **अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 व नियम 2008 के अन्तर्गत कोई दावा ,इस जिला स्तरीय समिति कोटा जिला ग्रामीण क्षेत्र के समक्ष वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।** अतः बैठक में सर्वसम्मति से उक्त बोराबास–मण्डाना पेयजल परियोजना के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निर्णय लिया गया।
बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

जिला कलेक्टर
कोटा

क्रमांकःप. ( )राजस्व–ााा/16/ 1500 दिनांक 27–5–2017
प्रतिलिपीः–

1–उपवन संरक्षक कोटा।
2–मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिला परिषद कोटा।
3–श्रीमति मैना कुमारी सदस्य जिला परिषद कोटा।
4–श्री जम्बू कुमार मीणा, जिला परिषद कोटा।
5–श्रीमति रेखा सदस्य , जिला परिषद कोटा।

कार्यालय जिला कलेक्टर कोटा

क्रमांकः प.17 () राजस्व–III / 1502-7 दिनांकः– 27.5.2017

उपवन संरक्षक,
कोटा।

विषयः– बोराबास मण्डाना पेयजल परियोजना के अन्तर्गत आने वाली वन भूमि के समतुल्य राजस्व भूमि वन विभाग को देने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अधिशाषी अभियंता जन स्वा. अभि. विभाग परियोजना खण्ड प्रथम कोटा के पत्र कमांक 138–140 दिनांक 28.07.2015 से बोराबास–मण्डाना पेयजल परियोजना के अन्तर्गत आने वाली 04 हैक्टेर वन भूमि के समतुल्य राजस्व भूमि वन विभाग को दिये जाने हेतु निवेदन किया गया था। जिसके कम में उपखण्ड अधिकारी कोटा के पत्र कमांक 1148 दिनांक 18.12.2015 से बोराबास–मण्डाना पेयजल परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि में डाली जाने वाली पाइप लाइन में आ रही वन भूमि के समतुल्य राजस्व भूमि दिये जाने हेतु ग्राम जोधपुरा के ख0न0 407 रकबा 13.40 है0 किस्म भूमि चारागाह मे से 4.00 पश्चिम के तरफ तथा साथ ही चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु ग्राम जोधपुरा के सिवायचक ख0न0 20 रकबा 4.65 है0 किस्म भूमि बंजड में से 4.00 है0 भूमि उत्तर के निर्धारित चैकलिस्ट में प्रस्ताव प्राप्त किये गये। पटवारी रिपोर्ट अनुसार मौके पर भूमि खाली है तथा उक्त भूमि वन विभाग को देने में कोई आपत्ति नही है। उक्त कम में आप द्वारा भी पत्र कमांक एफ ( ) तक0 / उवसं / 2015–16 / 843 दिनांक 22.01.2016 से वन भूमि के बदले समतुल्य राजस्व भूमि ग्राम जोधपुरा के ख0न0 407 रकबा 13.40 है0 किस्म भूमि चारागाह में से 4.00 है0 भूमि को वन विभाग को हस्तानान्तरण करने हेतु सहमति दी गई है। ग्राम पंचायत मांदलिया, पं0स0 लाडपुरा द्वारा भी उक्त भूमि को वन विभाग को दिये जाने पर कोई आपत्ति नही होना अंकित किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी कोटा के प्रस्तावानुसार एवं आपकी सहमति तथा ग्राम पंचायत मांदलिया की अनापत्ति के आधार पर बोराबास–मण्डाना पेयजल परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि में डाली जाने वाली पाइप लाइन में आ रही वन विभाग की भूमि नगर निगम कोटा की सीमा के ग्राम रानपुर, दौलतगंज, रोझडी, जगपुरा, बंधा, आनन्दपुरा उर्फ फूटा तालाब, आनन्दपुरा, लखावा, रथकांकरा की 1.40 हेक्टर कोटा जिला के ग्रामीण क्षेत्र के तथा ग्राम डोबडा, सारंगपुर, लक्ष्मीपुरा उर्फ कोलाना, कसार, श्यामपुरा, रानक्याखेडी ,खानपुरिया, पचपाहड, डोलिया, विजयपुरा, पाचनकुई, किशोरसागर, केवलनगर, आलनिया, पृथ्वीपुरा किशनपुरा,जसपुरा,केशोपुरा,रोझला, मंदरगढ, बोराबास की 2.60 हेक्टर कुल रकबा 4.00 है0 (सूची सलंग्न) के बदले, राजस्व भूमि ग्राम जोधपुरा के ख0नख 407 रकबा 13.40 है0 किस्म भूमि चारागाह में से 4.00 है0 भूमि (पश्चिम की तरफ) को वन विभग को हस्तानान्तरण किये जाने की सहमति दी जाती हैं तथा चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु ग्राम जोधपुरा के ख0न0 20 रकबा 4.65 है0 किस्म भूमि बंजड में से 4.00 है0 भूमि (उत्तर की तरफ) को चारागाह में परिवर्तित की जाती है। अतः बोराबास–मण्डाना पेयजल परियोजना के अन्तर्गत आने वाली वन विभाग की भूमि में पाइप लाइन डाले जाने के कार्य हेतु शीघ्र वन भूमि नियमानुसार आवंटन करने का श्रम करे।

भवदीय

जिला कलेक्टर
कोटा

क्रमांकः प.17 ( ) राजस्व–III / 1502-7 दिनांकः– 27.5.17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. उपवन संरक्षक , कोटा।
2. अधीक्षण अभियंता, जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना वृत झालावाड।
3. अधिशाषी अभियंता , जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना खण्ड कोटा।
4. उपखण्ड अधिकारी , कोटा।
5. तहसीलदार, लाडपुरा।
6. ग्राम पंचायत मांदलिया, पंचायत समिति लाडपुरा, जिला कोटा।
7. रक्षित पत्रावली।

भवदीय

अति० जिला कलेक्टर
कोटा

कार्यालय उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

www.kota.nic.in

बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 9.10.2015 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2007 व नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति नगरनिगम,कोटा क्षैत्र की बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्न सदस्यगण उपस्थित हुये

क्र0स0 नाम सदस्यगण	हस्ताक्षर	मोबाइल नम्बर
1–श्री सुरेश मीणा वार्ड पार्षद न0नि0कोटा	S.K. [signature]	8829057777
2–श्रीमति सुनीता मीणा वार्डपार्षद–'–	[signature]	7073365970
3–श्री ओमकृष्ण गुंजल वार्डपार्षद–'–	अनुपस्थित	
4–श्री सहायक वन संरक्षक वनमण्डल कोटा	अनुपस्थित	
5–श्रीमति रिंकल गुप्ता राजस्व अधिकारी नगरनिगम,कोटा	[signature]	

बैठक में उपस्थित सदस्यो को उक्त अधिनियम की जानकारी दी गई । श्रीमान अति0जिला कलेक्टर ,कोटा के पत्रांक/प.()राज–III/ 2527 दिनांक 7.9.2015की पालना में इस . बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अधिशाषी अभियंता जन स्वा0अभियांत्रिक विभाग परियोजना खण्ड प्रथम,कोटा द्वारा परियोजना की जानकारी दी गई। बोराबास–मण्डाना पेयजल परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि में डाली जाने वाली पाइप लाइन में आ रही वन विभाग की संरक्षित वन भूमि जिसकी अधिशाषी अभियन्ता जन स्वा0अभियांत्रिक विभाग परियोजना खण्ड प्रथम,कोटा से प्राप्त सूची सलंग्न है के अनुसार वन भूमि जो नगर निगम क्षैत्र,कोटा में आती है, से संबंधित अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2007 व नियम 2008 के अन्तर्गत कोई दावा इस उपखण्ड स्तरीय समिति नगर निगम क्षैत्र,कोटा के समक्ष वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। अतः बैठक में सर्वसम्मति से उक्त बोराबास–मण्डाना पेयजल परियोजना के लिये श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय,कोटा को अनापत्ति प्रमाण पत्र भिजवाने की अभिशंषा की गई।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

[signature]
उपखण्ड अधिकारी
एवं अध्यक्ष वनाधिकार उपखण्ड स्तरीय समिति
नगर निगम क्षैत्र,कोटा
दिनांक 9.10.2015

क्रमांक/वनाधिकार/2015/ 1020-1021
प्रतिलिपि :–श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय,कोटा
2–श्री सदस्यगण

[signature]
उपखण्ड अधिकारी,
कोटा

☎ 0744-2325871 (o) e-mail : sdokot-kot-rj@nic.in

कार्यालय उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

www.kota.nic.in

बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 9.10.2015 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2007 व नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति तहसील लाडपुरा ,जिला कोटा क्षेत्र की बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्न सदस्यगण उपस्थित हुये

क्र0स0 नाम सदस्यगण	हस्ताक्षर	मोबाइल नम्बर
1–श्री महेन्द्र कुमार मीण प0स0सदस्य,लाडपुरा	महेन्द्र मीणा	9950679654
2–श्रीमति पूजा कुमारी पूजा		~~9166262008~~ 7728044151
3–श्री सोनू कुमार ———	Sonu	9784257360
4–श्री जय सिंह राठौर सहायक वन संरक्षक वनमण्डल कोटा	अनुपस्थित	
5–विकास अधिकारी पंचायत समिति लाडपुरा		

बैठक में उपस्थित सदस्यो को उक्त अधिनियम की जानकारी दी गई । श्रीमान अति0जिला कलेक्टर ,कोटा के पत्रांक/प.()राज–III/ 2527 दिनांक 7.9.2015की पालना में इस बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अधिशाषी अभियंता जन स्वा0अभियांत्रिक विभाग परियोजना खण्ड प्रथम,कोटा द्वारा परियोजना की जानकारी दी गई। बोराबास–मण्डाना पेयजल परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि में डाली जाने वाली पाइप लाइन में आ रही वन विभाग की संरक्षित वन भूमि जिसकी अधिशाषी अभियन्ता जन स्वा0अभियांत्रिक विभाग परियोजना खण्ड प्रथम,कोटा से प्राप्त सूची सलंग्न है के अनुसार वन भूमि जो तहसील लाडपुरा क्षैत्र,कोटा में आती है, से संबंधित अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2007 व नियम 2008 के अन्तर्गत कोई दावा इस उपखण्ड स्तरीय समिति तहसील लाडपुरा क्षेत्र कोटा के समक्ष वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। अतः बैठक में सर्वसम्मति से उक्त बोराबास–मण्डाना पेयजल परियोजना के लिये श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय,कोटा को अनापत्ति प्रमाण पत्र भिजवाने की अभिशंषा की गई।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

उपखण्ड अधिकारी
एवं अध्यक्ष वनाधिकार उपखण्ड स्तरीय समिति
नगर निगम क्षैत्र,कोटा

क्रमांक/वनाधिकार/2015/1022-1023

दिनांक ~~24.6.2015~~ 9-10-15 / 12

प्रतिलिपि :–श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय,कोटा
2–श्री सदस्यगण

उपखण्ड अधिकारी,कोटा

☎ 0744-2325871 (o) e-mail : sdokot-kot-rj@nic.in

वन्देमातरम
राजस्थान सरकार
सत्यमेव जयते

जय श्री राम

(9)

कार्यालय ग्राम पंचायत डोलिया

पंचायत समिति लाडपुरा, जिला कोटा–324001 (राज.)

मेघवाल

डोलिया
–40860

प्रेषत :–
श्रीमान्

दिनांक : 21/08/2015

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

र्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जलदाय
विभाग द्वारा डोल्या ग्राम पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत जो
भूमि वन क्षेत्र मे आती है उसमे बोराबास मण्डाना
पेयजल परियोजना के अन्तर्गत पेयजल पाईप लाईन
बिछाने के कार्य हेतु ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति
नही है। ग्रा. पंचायत डोल्या के अन्तर्गत वन क्षेत्र
ग्राम डोल्या, किशनपुरा, जालपुरा, बेडोपुरा, मन्दिरगढ मे
पाईप लाईन बिछाने हेतु वन विभाग की स्वीकृति जारी
करने की अभिशंषा की जाती है।

प्रमाणित कर्ता

सरपंच
ग्राम पंचायत डोल्या
प.स. लाडपुरा, जि. कोटा (राज.)

(21)

(10)

कार्यालय ग्राम पंचायत बोराबास

पंचायत समिति लाड़पुरा, जिला–कोटा (राज.)

शिवराम सरपंच ग्राम पंचायत बोराबास Mob.: 9460948187	प्रेषिति ______

क्रमांक : ग्रा. पं. बोराबास (33) **अनापत्ति प्रमाण पत्र** दिनांक 06/08/15

सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया जाता है। कि जलदाय विभाग द्वारा बोराबास ग्राम पन्चायत क्षेत्र के अन्तर्गत जो भूमि वन क्षेत्र मे आती है। उसमे बोराबास मण्डाना पेयजल परियोजना के अन्तर्गत पेयजल पाईप लाईन बिछाने के कार्य हेतु ग्राम पन्चायत को किसी प्रकार की आपत्ति नही है। अतः ग्राम पन्चायत के अन्तर्गत वन क्षेत्र मे ग्राम बोराबास से रतकांकरा तक पाईप लाईन बिछाने हेतु वन विभाग की स्वीकृति जारी करने की अभिशंसा की जाती है।

शिवराम
सरपंच
ग्राम पंचायत बोराबास
पं. स. लाड़पुरा कोटा

Shikla
ग्राम सेवक पदेन सचिव
ग्राम पंचायत बोराबास
पं. स. लाड़पुरा कोटा

कार्यालय ग्राम पंचायत कोलाना

पंचायत समिति लाड़पुरा, जिला–कोटा (राज.)

रामकरण गुर्जर

सरपंच

Mob.: 9829455241

(11)

क्रमांक : 67

दिनांक 19/8/15

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत कोलाना ने सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि जलदाय विभाग द्वारा कोलाना ग्राम पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत जो भूमि वन क्षेत्र में आती है उसमें बोराबास मण्डाना पेयजल परियोजना के अन्तर्गत पेयजल पाईप लाईन के कार्य हेतु ग्राम पंचायत को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अतः ग्राम पंचायत के अन्तर्गत वन क्षेत्र में ग्राम कोलाना, लक्ष्मीपुरा, अमर कुआँ, श्यामपुरा, पीपल कुई, पचपहाड़ तथा मान्दलिया से सारंगपुर एवं बावड़ी खेड़ा ग्राम में पाईप लाईन बिछाने हेतु वन विभाग से स्वीकृति करने की अभिशंषा की जाती है।

यह प्रमाण-पत्र आज दिनांक 19/8/15 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा द्वारा जारी किया गया।

(हस्ताक्षर)
ग्राम सेवक पदेन सचिव
ग्रा. पं. कोलाना
पं. स. लाडपुरा (कोटा)

रामकरण
सरपंच
ग्रा. प. कोलाना
पं. स. लाडपुरा

कार्यालय ग्राम पंचायत कसार पं. स. लाडपुरा (कोटा)

(12)

क्रमांक : 347 दिनांक 20/08/2015

अनापत्ती प्रमाण पत्र

आज दिनांक 20-08-2015 की बैठक में पंचायत की कोरम द्वारा सर्व सहमती से यह निर्णय लिया गया कि । जलदाय विभाग द्वारा ग्राम पंचायत कसार के निम्न गाँवो में (1) कसार, (2) रानपुरा खेडी (3) रामनगर (4) व खानपुरिया के गावो में पेयजल हेतु सभी गाँवो के क्षेत्र के अन्तर्गत जो भूमी वन क्षेत्र में आती है। उसमें - बोराबास - मण्डाना पेयजल परियोजना के अन्तर्गत पेयजल पाइप लाइन बिछाने के कार्य हेतु ग्राम पंचायत को किसी प्रकार की आपत्ती नहीं है।

पाइप लाइन बिछाने हेतु वनविभाग को स्वीकृति जारी करने की अभिशंषा की जाती है।

ग्रामसेवक पदेन सचिव
ग्राम पंचायत कसार
पं. स. लाडपुरा जि. कोटा (राज.)

सरपंच
ग्राम पंचायत कसार
पं. स. लाडपुरा (कोटा)

कार्यालय ग्राम पंचायत आलनिया

पंचायत समिति लाडपुरा, कोटा (राज.) मो० 7023356450

(13)

91-92

दिनांक 20.08.2015

अनापत्ती प्रमाण पत्र

आज दिनांक 20.08.2015 की बैठक में पंचायत की कोरम द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जलदाय विभाग द्वारा आलनिया ग्राम पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत जो भूमि वन क्षेत्र में आती है उसमें बोराबास मण्डाना पेयजल परियोजना के अन्तर्गत पेयजल पाईप लाइन बिछाने के कार्य हेतु ग्राम पंचायत को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है अतः ग्राम पंचायत के अन्तर्गत वन क्षेत्र में ग्राम आलनिया, केवलनगर, विजयपुरा तक पाईप लाइन बिछाने हेतु वि. वन विभाग को स्वीकृती जारी करने की अनुशंसा की जाती है

सरपंच
ग्राम पंचायत आलनिया
पंचायत समिति लाडपुरा

सचिव
ग्राम पंचायत आलनिया
पंचायत समिति लाडपुरा

कार्यालय ग्राम पंचायत आलनिया
पंचायत समिति लाडपुरा, कोटा (राज.)

क्रमांक /ग्रापआ/62 दिनांक 20.7.16

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आज दिनांक 20.07.2016 की बैठक में पंचायत की कोरम द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जलदाय विभाग द्वारा आलनिया ग्राम पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत जो भूमि वन क्षेत्र में आती है उसमें बोराबास मण्डाना पेयजल परियोजना के अन्तर्गत पेयजल पाईप लाईन बिछाने के कार्य हेतु ग्राम पं० को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। अतः ग्राम पं० के अन्तर्गत वन क्षेत्र में ग्राम आलनिया, केवलनगर विजयपुरा तक पाईप लाईन बिछाने हेतु जलदाय विभाग को N.O.C जारी करने की अभिशंषा की जाती है।

सचिव

सरपंच
ग्राम पंचायत आलनिया (कोटा)

कार्यालय ग्राम पंचायत आलनिया

ग्राम पंचायत के कोरम द्वारा प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 20.07.16 के द्वारा दिये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र में बोराबास मण्डाना पेयजल परियोजना के अन्तर्गत बिछाई जाने वाली पाईप लाईन आने वाली वन भूमि का विवरण निम्न प्रकार है।

क.स.	ग्राम का नाम	प्रस्ताव क अन्तर्गत आने वाली वन भूमि (वर्गमीटर में)	विशेष विवरण
1.	विजयपुरा	1680	प्रस्ताव संख्या के अनुसार
2.	आलनिया	180	
3.	केबल नगर	1275	
	कुल	3135	

सचिव
ग्राम पंचायत आलनियां
पं० स० लाडपुरा, कोटा (राज०)

.P.II प्रपत्र संख्या 1

बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर

विजय स्टेशनर्स मार्ट, आर्य समाज रोड, कोटा फोन – 9352626682

29

.P.II प्रपत्र संख्या 1

बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर

विजय स्टेशनर्स मार्ट, आर्य समाज रोड, कोटा फोन – 9352626682

45

ग्राम पंचायत .... पंचायत समिति .... जिला .... वर्ष 200

बैठक होने की तारीख	बैठक का स्थान	पंच/सरपंच का नाम	उपस्थित सदस्यों का नाम	बैठक की कार्यवाही का विवरण	बैठक में उपस्थित सदस्यों के ह.
1	2	3	4	5	6
	20-7-16	गजानन्द भील सरपंच		आज दिनांक 20.07.2016 को ग्राम पं. के आलनिया के अटल सेवा केन्द्र में पाक्षिक बैठक का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता सरपंच साहब श्री गजानन्द भील द्वारा की गई	
		मीना पोरवाल उपसरपंच		सर्वप्रथम गत बैठक	[illegible] 20-7-16
		किरन नागर वार्ड पंच		कार्यवाही का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया तत्पश्चात अग्रिम कार्यवाही की प्रारंभ किया गया।	[illegible] 20/7/16
			सुरेश [illegible]	सर्वप्रथम गत बैठक कार्यवा	[illegible]
		जितेन्द्र नागर वार्डपंच		[illegible]	[illegible]
		हीरालाल	[illegible]	सरपंच ग्राम पंचायत आलनिया (कोटा)	[illegible]

(31)

हीरालाल
वार्ड पंच

दीपक [illegible]

निधि शर्मा नि.ज.अ.
निधि शर्मा चित्तौड़गढ़ आकायवृद्ध AWW राविंचा

प्रस्ताव संख्या 2 आज बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जलदाय विभाग द्वारा आलनिया ग्रा० पं० क्षेत्र के अन्तर्गत जो भूमि वन क्षेत्र में आती है उसमें कोलावास भण्डाना पेयजल परियोजना के अन्तर्गत पेयजल पाईप लाईन बिछाने के कार्य हेतु ग्रा. पं. को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है अतः ग्राम पंचायत के अन्तर्गत वन क्षेत्र में ग्राम पंचायत आलनिया, केवलनगर, विजयपुरा तक पाईपलाईन बिछाने हेतु जलदाय विभाग को N.O.C. जारी करने की अभिशंषा की जाती है

निधि शर्मा
चित्तौड़गढ़
आकायवृद्ध
AWW
राविंचा

किरण नागर

सोनू
शिवराज

रमेश
शिवराज

शोभा

उर्मिला शर्मा

रामकृष्ण
मोड़ीराम
ब्रिजेश
रेखा

सरपंच
ग्राम पंचायत आलनियाँ (कोटा)

कार्यालय ग्राम पंचायत बोराबास

पंचायत समिति लाड़पुरा, जिला–कोटा (राज.)

शिवराम
सरपंच
ग्राम पंचायत बोराबास
Mob.: 9460948187

प्रेषिति ____________

क्रमांक : ग्रा. पं. बोराबास (33) अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 06/08/15

सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया जाता है। कि जलदाय विभाग द्वारा बोराबास ग्राम पन्चायत क्षेत्र के अन्तर्गत जो भूमि वन क्षेत्र मे आती है। उसमे बोराबास मण्डाना पेयजल परियोजना के अन्तर्गत पेयजल पाईप लाईन बिछाने के कार्य हेतु ग्राम पन्चायत को किसी प्रकार की आपत्ति नही है। अतः ग्राम पन्चायत के अन्तर्गत वन क्षेत्र मे ग्राम बोराबास से रतकांकरा तक पाईप लाईन बिछाने हेतु वन विभाग की स्वीकृति जारी करने की अभिशंसा की जाती है।

शिवराम
सरपंच
ग्राम पंचायत बोराबास
पं. स. लाडपुरा कोटा

[signature]
ग्राम सेवक पदेन सचिव
ग्राम पंचायत बोराबास
पं. स. लाडपुरा कोटा

कार्यालय ग्राम पंचायत बोराबास

ग्राम पंचायत के कोरम द्वारा प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 06-08-15 के द्वारा दिये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र में बोराबास मण्डाना पेयजल परियोजना के अन्तर्गत बिछाई जाने वाली पाईप लाईन आने वाली वन भूमि का विवरण निम्न प्रकार है।

क.स.	ग्राम का नाम	प्रस्ताव क अन्तर्गत आने वाली वन भूमि (वर्गमीटर में)	विशेष विवरण
1.	बोराबास	1242.4	प्रस्ताव संख्या 01 के अनुसार

सरपंच
ग्राम पंचायत बोराबास
तह. लाडपुरा जिला कोटा (राज.)

ग्राम सेवक पदेन सचिव
ग्राम पंचायत बोराबास
पं. स. लाडपुरा कोटा

प्रपत्र संख्या - 1

बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर

आर. के. भार्गव एण्ड सन्स कोटा.6

ग्राम पंचायत / न्याय उप समिति बोराबास पंचायत समिति लाडपुरा जिला कोटा

बैठक होने की तारीख 1	बैठक का स्थान 2	पंच / सरपंच का नाम 3	उपस्थित सदस्यों का नाम 4	बैठक की कार्यवाही का विवरण 5	बैठक में सदस्यों के
6/8/2015	अटल सेवा केन्द्र (बोरा)	श्री शिवराम जी			
				आज दिनांक 6.8.15 को ग्राम पंचायत बोराबास	
		सरपंच		में पंचायत कोरम की पाक्षिक बैठक का आयोजन	ना
		ग्राम पंचायत बोराबास पं. स. लाडपुरा कोटा		अटल सेवा केन्द्र बोराबास में सरपंच साहब	
				श्री शिवराम जी कि अध्यक्षता में आयोजित	
		अध्यक्ष		की गई ।	
		वन समिति ग्राम पंचायत बोराबास तह. लाडपुरा जिला कोटा (राज.)		बैठक में सर्व प्रथम गत बैठक की कार्यवाही को	
	भेरु जी			पढ़कर सुनाई गई ।	
					लडक
	रामा				
	कुसा			प्रस्ताव नं-1 पेयजल परियोजना के अन्तर्गत	
				पेयजल पाईपलाईन बिछाने के कार्य ! - ग्राम	
	कालू			सभा में ग्राम बोराबास से रथकांकरा तक	
				पेयजल पाइप लाइन डालने का प्रस्ताव सर्वसम्मति	
	प्रभु			से लिया गया कि दोनों गांवों के बीच पड़ने	
	नरेन्द्र	भंवरलाल		वाली जंगलात की जमीन हेतु वन विभाग	
	रमेश	रमेश			
				की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता भी	

पत्र संख्या - 1

बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर

आर. के. भार्गव एण्ड सन्स कोटा.6 ☎ : 2380748 G. P. 11

ग्राम पंचायत / न्याय उप समिति बोराबास पंचायत समिति लाडपुरा जिला कोटा वर्ष 2015-

होने की तारीख	बैठक का स्थान	पंच / सरपंच का नाम	उपस्थित सदस्यों का नाम	बैठक की कार्यवाही का विवरण	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
6	अटलसेवा	श्री शिवरामजी			
2015	केन्द्र (बोरा)			आज दिनांक 6.6.15 को ग्राम पंचायत बोराबास	
		शिवराम सरपंच		में पंचायत कोरम की पाक्षिक बैठक का आयोजन	नाथूलाल
		ग्राम पंचायत बोराबास		अटल सेवा केन्द्र बोराबास में सरपंच साहब	
		पं. स. लाडपुरा कोटा		श्री शिवराम जी कि अध्यक्षता में आयोजित	कैलाश
				की गई।	
		रामा	भैरुजी	बैठक में सर्व प्रथम सचिव गत बैठक की कार्यवाही	कौशल्या
		धूसा		पढ़कर सुनाई गई।	
		प्रभु			लाडकंवर
			[illegible]		
		कालू		प्रस्ताव नं.-1 पेयजल परियोजना के अन्तर्गत	
			[illegible]	पेयजल पाईप लाईन बिछान के कार्य ! - ग्राम	
			नरेश [illegible]	सभा में ग्राम बोराबास से रथकांकरा तक	
		भंवरलाल	[illegible]	पेयजल पाइप लाइन डालने का प्रस्ताव सर्वसम्मति	[illegible]
				से लिया गया कि दोनों गांवों के बीच पड़ने	
		नरोत्तम		वाली जंगलात की जमीन हेतु वन विभाग	
				की स्वीकृति जारी करने की अभिशंसा की	

वाला जगलाल को जमीन हेतु पन [illegible]

की स्वीकृति जारी करने की अभिशंसा की जाती है।

प्रस्ताव नं. -2 जन्म व मृत्यु पर चर्चा :- पंचायत कोरम पाक्षिक बैठक में उपस्थित वार्ड पंचों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व A.N.M. से जन्म व मृत्यु पर चर्चा की गई एवं जानकारी दी गई। सभी वार्ड पंचों द्वारा जानकारी दी गई कि सभी जन्म व मृत्यु का 21 दिवस पंचायत कार्यालय में जाकर पंजीयन करावें।

प्रस्ताव नं. -3 राष्ट्रीय पोषाहार पर चर्चा :- बैठक में उपस्थित वार्ड पंचों को स्कूलों में चल रहे राष्ट्रीय पोषाहार का चेक करने व पोषाहार समय पर अच्छा मिल रहा है। या नहीं जाकर देखने हेतु कहा गया।

प्रस्ताव नं. -4 शौचालय निर्माण पर चर्चा :- बैठक में उपस्थित वार्ड पंचों को जानकारी दी गई कि सभी घरों में शौचालय होना जरूरी है। अतः सभी को शौचालय की जानकारी दी गई।

सरपंच
ग्राम पंचायत बोरावास
तह. लाडपुरा जिला कोटा (राज.)

ग्राम सहायक पदेन सचिव
ग्राम पंचायत बोरावास
पं. स. लाडपुरा कोटा

(हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी: भैरूलाल, प्रहलाद)

भारत माता

वन्देमातरम

राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

जय श्री राम

कार्यालय ग्राम पंचायत डोलिया

पंचायत समिति लाड़पुरा, जिला कोटा–324001 (राज.)

प्रेषक :-
नन्दलाल मेघवाल
सरपंच
ग्राम पंचायत डोलिया
मो.नं. 99281–40860

प्रेषत :-
श्रीमान्

क्रमांक : (1)

दिनांक : 21/08/2015

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जलदाय विभाग द्वारा डोल्या ग्राम पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत जो भूमि वन क्षेत्र मे आती है उसमे बोराबास मण्डाना पेयजल परियोजना के अन्तर्गत पेयजल पाईप लाईन बिछाने के कार्य हेतु ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नही है। अत: पंचायत डोल्या के अन्तर्गत वन क्षेत्र मे ग्राम डोल्या, किशनपुरा, जसपुरा, बेओपुरा, मन्दिरगढ मे पाईप लाईन बिछाने हेतु वन विभाग की स्वीकृति जारी करवाने की अभिशंसा की जाती है।

प्रमाणित कर्ता

[signature]

सरपंच
ग्राम पंचायत डोल्या
पं. स. लाडपुरा, जि. कोटा (राज.)

कार्यालय ग्राम पंचायत डोल्या

ग्राम पंचायत के कोरम द्वारा प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 20/7/16 के द्वारा दिये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र में बोराबास मण्डाना पेयजल परियोजना के अन्तर्गत बिछाई जाने वाली पाईप लाईन आने वाली वन भूमि का विवरण निम्न प्रकार है।

क.स.	ग्राम का नाम	प्रस्ताव क अन्तर्गत आने वाली वन भूमि (वर्गमीटर में)	विशेष विवरण
1.	रोझाला	1237.6	प्रस्ताव संख्या 02 के अनुसार
2.	किशनपुरा	1305.2	
3.	जसपुरा	1924	
4.	केशोपुरा	1045.2	
5.	मन्दिरगढ	397.8	
6.	पृथ्वीपुरा	455	
7.	डोल्या	3790	
	कुल	10154.8 वर्ग मीटर	

ग्राम सेवक पदेन सचिव
ग्राम पंचायत डोल्या
पं. स. लाड़पुरा कोटा (राज.)

सरपंच
ग्राम पंचायत डोल्या
पं. स. लाड़पुरा कोटा (राज.)

.P..11 प्रपत्र संख्या 1

बैठक कार्यवाही रजिस्टर (8)

विजय स्टेशनरी मार्ट, आर्य समाज रोड
9352626682

ग्राम पंचायत.................................पंचायत समिति.................................जिला.... कोटा ....वर्ष 20   -20 2016-17

बैठक होने की तारीख	बैठक का स्थान	पंच / सरपंच का नाम	उपस्थित सदस्यों का नाम	बैठक की कार्यवाही का विवरण	बैठक में उपस्थित सदस्यों के ह.
1	2	3	4	5	6
[illegible]	अटलसेवा केन्द्र	श्री नन्दलाल मेघपाल	श्री बंशीलाल वार्डपंच	आज दिनांक 20/11/2016 को ग्रामपंचायत	
		सरपंच डोल्या	श्री भवानीशंकर	की साधारण बैठक का आयोजन रखा गया।	
			श्रीमति कांतिबाई	बैठक अटलसेवा केन्द्र पर सुबह 11 बजे	
			श्री राजूलाल	सरपंच महोदय की अध्यक्षता में शुरू की	
			श्री रमेशचन्द	गई। सर्व-प्रथम कोरम पूर्ण रहने पर	बंशीलाल
			श्री कल्याणसिंह	गत पिछली बैठक की कार्यवाही को पढ़कर	
			उपसरपंच	सुनाया गया जिसका सभी ने सर्वसहमति से	
			एवं ग्रामवासी.	अनुमोदन किया तत्पश्चात निम्न प्रस्ताव लिये गये।	
					भवानीशं[कर]
				प्रस्ताव सं. 1 → शौचालय निर्माण पर चर्चा →	
				आज की बैठक में मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम	कांतिबाई
				पंचायत योजना में चयनित ग्राम पंचायत डोल्या	
				में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय	
				निर्माण पर चर्चा की गई। सचिव ने अवगत	राजू
				कराया कि ग्राम पंचायत डोल्या में शौचालय की	
			ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पंचायत डोल्या प. स. लाडपुरा कोटा (राज.)	प्रगति बहुत धीमी है। तथा आम आदमी	सरपंच ग्राम पंचायत डोल्या प. स. लाडपुरा कोटा (राज.)

उपस्थित आम ग्रामवासी		हस्ता.
रामभरोस	किशनसिंह	रामभरोस
धनराजसिंह	छोटूसिंह	धनराजसिंह
नरेन्द्रसिंह	मोड़सिंह	नरेन्द्रसिंह
विशालसिंह	[illegible]सिंह	विशालसिंह
रविन्द्रसिंह	लक्ष्मणसिंह	रविन्द्र
कजोड़दास	सीताराम	कजोड़दास
नन्दसिंह	बालूसिंह	नन्दसिंह
प्रहलाद	किशनसिंह	प्रहलाद
गोपालसिंह	डालूसिंह	गोपालसिंह
राजेन्द्रसिंह	महेन्द्रसिंह	राजेन्द्रसिंह
मुकेशसिंह	किशनसिंह	मुकेश

शौचालय निर्माण मे रुचि नही ले रहा है इस कारण शौचालयों की प्रगति अत्यन्त धीमी है। अतः आज की बैठक मे उपस्थित वार्ड पंचो को लक्ष्य दिया कि प्रत्येक वार्डपंच एक माह मे कम से कम 10 शौचालयों का निर्माण करवायेगा। जिससे कि ग्राम पंचायत मे शौचालय निर्माण की प्रगति हो सके।
उक्त प्रस्ताव को सर्व सहमति से पारित किया गया।

प्रस्ताव स. 2. → आज की बैठक मे सर्व सहमति से निर्णय लिया कि जलदाय विभाग द्वारा कोराबाद कोराबाद ग्राम पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत जो भूमी आती है इसमे कोराबाद - मण्डाना पेयजल परियोजना के अन्तर्गत पाइपलाइन बिछाने हेतु ग्राम पंचायत को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही है। अतः ग्राम पंचायत के अर्न्तगत आम वन क्षेत्र के ग्राम ढोलिया, किशनपुरा, जगपुरा, केशोपुरा पाइपलाइन बिछाने हेतु वन विभाग की स्वीकृति जारी करने की अभिशंसा की जाती है। उक्त प्रस्ताव को सर्व सहमति से पारित किया गया।

रमेशचन्द
[illegible]
विशालसिंह
[illegible]
रघुवीरसिंह
किशनसिंह
नरेन्द्र सिंह
रामभरोस
राजेन्द्रसिंह
गोपालसिंह

3.8.2
ग्राम सेवक पदेन सचिव
ग्राम पंचायत ढोल्या
प. स. लाडपुरा कोटा (राज.)

सरपंच
ग्राम पंचायत ढोल्या
प. स. लाडपुरा कोटा (राज.)

Details of Wild Life Sancruary (Forest) Land Required Under FAC-80

S. No.	Tehsil	Village	Khasara No.	Scale = 1 Cm : 40 Mtr. (Shown in Drawing)		Length	Width	Forest Area Proposed For Diversion (Sqm.)	Legal Status of Forest area	Remarks
1	2	3	4	5		6	7	8	9	
1	Ladpura	Prathvipura	103/1	17.5	40	700	0.65	455	Forest Land	
2	Ladpura	Kishanpura	201	19	40	760	0.65	494	Forest Land	
3	Ladpura	Kishanpura	206	22.7	40	908	0.65	590.2	Forest Land	
4	Ladpura	Kishanpura	208	8.5	40	340	0.65	221	Forest Land	
5	Ladpura	Jashpura	2	11.5	40	460	0.65	299	Forest Land	
6	Ladpura	Jashpura	36	6	40	240	0.65	156	Forest Land	
7	Ladpura	Jashpura	6	5.5	40	220	0.65	143	Forest Land	
8	Ladpura	Jashpura	33	8.5	40	340	0.65	221	Forest Land	
9	Ladpura	Jashpura	29	1	40	40	0.65	26	Forest Land	
10	Ladpura	Jashpura	63	15	40	600	0.65	390	Forest Land	
11	Ladpura	Jashpura	88	26.5	40	1060	0.65	689	Forest Land	
12	Ladpura	Keshopura	3	30	40	1200	0.65	780	Forest Land	
13	Ladpura	Keshopura	25	0.5	40	20	0.65	13	Forest Land	
14	Ladpura	Keshopura	24	1	40	40	0.65	26	Forest Land	
15	Ladpura	Keshopura	23	1.5	40	60	0.65	39	Forest Land	
16	Ladpura	Keshopura	20	1	40	40	0.65	26	Forest Land	
17	Ladpura	Keshopura	34	2	40	80	0.65	52	Forest Land	
18	Ladpura	Keshopura	53	1.1	40	44	0.65	28.6	Forest Land	
19	Ladpura	Keshopura	54	1.1	40	44	0.65	28.6	Forest Land	
20	Ladpura	Keshopura	33/64	1.5	40	60	0.65	39	Forest Land	
21	Ladpura	Keshopura	34	0.5	40	20	0.65	13	Forest Land	
22	Ladpura	Rojhala	12	21.6	40	864	0.65	561.6	Forest Land	
23	Ladpura	Rojhala	24	26	40	1040	0.65	676	Forest Land	
24	Ladpura	Mandargarh	308	15.3	40	612	0.65	397.8	Forest Land	

(एस. आर. यादव)
उप वन संरक्षक (वन्यजीव)
मुकन्दरा राष्ट्रीय उद्यान
कोटा

प्रकाश चन्द जैन
अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वा. अभि. विभाग
परियोजना खण्ड प्रथम कोटा

जिला कलक्टर
कोटा

25	Ladpura	Ratkankra	84	6.3	40	252	0.65	163.8	Forest Land	
26	Ladpura	Ratkankra	86	5	40	200	0.65	130	Forest Land	
27	Ladpura	Ratkankra	189	12.4	40	496	0.65	322.4	Forest Land	
28	Ladpura	Ratkankra	190	16.4	40	656	0.65	426.4	Forest Land	
29	Ladpura	Borabas	69	9.1	40	364	0.65	236.6	Forest Land	
30	Ladpura	Borabas	38	2.5	40	100	0.65	65	Forest Land	
31	Ladpura	Borabas	70	21.7	40	868	0.65	564.2	Forest Land	
32	Ladpura	Borabas	80	1	40	40	0.65	26	Forest Land	
33	Ladpura	Borabas	145	3.8	40	152	0.65	98.8	Forest Land	
34	Ladpura	Borabas	513	5.2	40	208	0.65	135.2	Forest Land	
35	Ladpura	Borabas	508	0.3	40	12	0.65	7.8	Forest Land	
36	Ladpura	Borabas	132/647	2.7	40	108	0.65	70.2	Forest Land	
37	Ladpura	Borabas	230	1.6	40	64	0.65	41.6	Forest Land	
					Total Length	13312	Total area (SQM)	8652.8		
				Total Area in hectare				0.86528		

Total Forest Area in Hectare.	0.865
Total Length of pipe laying in Forest Area(Mtr.)	13312

Executive Engineer
PHED Project DN I, Kota

एस. आर. यादव
उप वन संरक्षक (वन्यजीव)
मुकन्दरा राष्ट्रीय उद्यान
कोटा

जिला कलक्टर
कोटा

Details of Forest land under Kota territorial Division

Details of Forest Land coming under proposed pipelines of Borawas Mandana Water Supply Project

S.No.	Name Of Village	Khasra No.	Dia Of Pipe (in mm)	Width Of Trench (in m)	Lenth Of Trench (in m)	Total Area (in sqm)
1	Dobra	721	150	0.65	272	176.8
		727	150	0.65	156	101.4
		729	150	0.65	92	59.8
2	Sarangpur	11	100	0.6	556	333.6
		25	100	0.6	256	153.6
		27	100	0.6	20	12
		54	100	0.6	508	304.8
3	Laxmipura (Kolana)	4	100	0.6	788	472.8
		13	100	0.6	408	244.8
		24	100	0.6	264	158.4
		46	100	0.6	668	400.8
		97	100	0.6	880	528
		161	100	0.6	840	504
		162	100	0.6	200	120
		180	100	0.6	260	156
		233	100	0.6	560	336
		236	100	0.6	108	64.8
		237	100	0.6	570	342
		263	100	0.6	160	96
		265	100	0.6	200	120
		267	100	0.6	280	168
		277/389	100	0.6	140	84
		323	100	0.6	296	177.6
		323/358	100	0.6	40	24
4	Kasar	1372	250	0.75	32	24
		1373	250	0.75	128	96
		1374	250	0.75	120	90
		1377	250	0.75	8	6
		1378	250	0.75	116	87
		1378/1617	250	0.75	80	60
		1379	250	0.75	20	15
		1412	250	0.75	40	30
		1413	250	0.75	12	9
		1357	250	0.75	208	156
		1414	250	0.75	32	24
		1410	250	0.75	280	210
5	Shyampura	13	100	0.6	16	9.6
		81	100	0.6	100	60
		89	100	0.6	48	28.8
		92/301	100	0.6	64	38.4
		97	100	0.6	76	45.6
		100	100	0.6	208	124.8
		101	100	0.6	188	112.8
		135	100	0.6	32	19.2
		217	100	0.6	200	120

उप वन संरक्षक कोटा

अधिशाषी अभियन्ता

जिला कलक्टर कोटा

		220/313	100	0.6	60	36
		259	100	0.6	320	192
		266	100	0.6	500	300
		157	100	0.6	40	24
6	Ranakyakheri	56	100	0.6	20	12
		426	100	0.6	636	381.6
		354	100	0.6	660	396
		393	100	0.6	632	379.2
		258	100	0.6	300	180
		353	100	0.6	192	115.2
		463/547	100	0.6	110	66
7	Khanpuriya	36	100	0.6	388	232.8
		43/338	100	0.6	540	324
		48	100	0.6	268	160.8
		49	100	0.6	30	18
		50	100	0.6	296	177.6
		51	100	0.6	80	48
		52	100	0.6	140	84
8	Pachpahar	261	100	0.6	12	7.2
		264	100	0.6	148	88.8
		280	100	0.6	368	220.8
		293	100	0.6	460	276
		295	100	0.6	40	24
		303	100	0.6	164	98.4
		368	100	0.6	72	43.2
9	Doliya	22	100	0.6	860	516
		28	100	0.6	440	264
		116		0.5		0
		212	100	0.6	508	304.8
		321/879	100	0.6	136	81.6
		644	100	0.6	30	18
		758	100	0.6	52	31.2
		759	100	0.6	204	122.4
		760	100	0.6	204	122.4
		761	100	0.6	336	201.6
		762	100	0.6	140	84
		763	100	0.6	480	288
		764	100	0.6	320	192
		643	100	0.6		0
		768	100	0.6	80	48
10	Ranpur	1537	100	0.6	380	228
		1443	100	0.6	80	48
		1444	100	0.6	340	204
11	Daulatganj	25	100	0.6	1048	628.8
		86	100	0.6	108	64.8
		90	100	0.6	552	331.2
		273	100	0.6	20	12
		274	100	0.6	108	64.8
		205	100	0.6	164	98.4
		216	100	0.6	32	19.2
		275	100	0.6	288	172.8

जिला कलक्टर
कोटा

उप वन संरक्षक
कोटा

प्रकाश चन्द जैन
अधिशाषी अभियन्ता

		277	100	0.6	176	105.6
		278	100	0.6	248	148.8
		281	100	0.6	288	172.8
12	Rojhri	22	350	0.85	200	170
		23	350	0.85	480	408
		24	350	0.85	8	6.8
		25	350	0.85	32	27.2
		60	350	0.85	24	20.4
		61	350	0.85	628	533.8
		62	350	0.85	52	44.2
		166	350	0.85	240	204
		127	100	0.6	460	276
		128	100	0.6	88	52.8
		129	100	0.6	124	74.4
13	Vijaypura	2	250	0.75	584	438
		6	100	0.6	40	24
		8	250	0.75	116	87
		9	250	0.75	508	381
		10	250	0.75	64	48
		12	250	0.75	936	702
14	Jagpura	1	250	0.75	420	315
		86	250	0.75	304	228
		87	250	0.75	304	228
		88	250	0.75	372	279
		89	250	0.75	348	261
		93	250	0.75	504	378
		106/299	250	0.75	200	150
		106	250	0.75	2080	1560
15	Pachankui	54	100	0.6	392	235.2
		131	100	0.6	432	259.2
		170	100	0.6	72	43.2
		173	100	0.6	180	108
		172	100	0.6	152	91.2
		176	100	0.6	244	146.4
		181	100	0.6	408	244.8
		190	100	0.6	376	225.6
		193	100	0.6	632	379.2
		210	100	0.6	1376	825.6
16	Banda	24	150	0.65	468	304.2
		25	150	0.65	348	226.2
		26	150	0.65	56	36.4
17	Kishorsagar	975	100	0.6	120	72
18	Anandpura(foot talav)	27	350	0.85	132	112.2
		17/118	350	0.85	240	204
		14	350	0.85	224	190.4
		28	350	0.85	44	37.4
		32	350	0.85	288	244.8
19	Anandpura	280	350	0.85	1760	1496
20	Lakhawa	90	350	0.85	160	136
		99	350	0.85	308	261.8
		101	350	0.85	208	176.8

जिला कलेक्टर कोटा

उप वन संरक्षक कोटा

अधिशाषी अभियन्ता जन स्वा. अभियांत्रिकी विभाग परियोजना खण्ड प्रथम कोटा कोड- 32183

		402	350	0.85	780	663
		404	350	0.85	56	47.6
		110	350	0.85	492	418.2
		111	350	0.85	488	414.8
		399	200	0.7	360	252
		400	200	0.7	220	154
		401	100	0.6	128	76.8
21	Kebal nagar	38	250	0.75	560	420
		39	250	0.75	748	561
		59	250	0.75	308	231
		72	250	0.75	84	63
22	Aalniya	74	250	0.75	228	171
		78	250	0.75	12	9
					Column1	Column2
				TOTAL	46828	31398.8
	1 Hectare	10000.000	Sqm	Qty in Hectare		3.13988

उप. वन संरक्षक
कोटा

Executive Engineer
PHED Project Dn. I, Kota

ABSTRACT OF PIPELINE

Total length of pipeline	pipeline under forest area in meters	pipeline under Revenue area in meters	Percentage
375330 m.	60140	338587	16.02%

area of pipeline	pipeline under forest area	pipeline under Revenue area	Percentage
23.14hect.	4.00 hect.	19.14 hect.	17.28%

Detail of Wildlife (Forest & Revenue) Land Required Under FCA-80

Total Revenue Area in Hectare.		0.765
Total Length of pipe laying in Revenue Area(Mtr.)		10085
Total Wildlife Area in Hectare.		0.865
Total Length of pipe laying in Wild life Area(Mtr.)		13312

Total area under forest & wildlife (3.14+0.86) = 4.00Hect.

(एस. आर. यादव)
उप वन संरक्षक (वन्यजीव)
मुकन्दरा राष्ट्रीय उद्यान
कोटा

जिला कलक्टर
कोटा

Executive Engineer
PHED Project Dn. I, Kota

कार्यालय ग्राम पंचायत कसार पं. स. लाडपुरा (कोटा)

क्रमांक : ग्रापक / 127 दिनांक 20/7/16

" अनापत्ति प्रमाण पत्र "

आज दिनांक 20/7/16 की कोरम द्वारा सहसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि जलदाय विभाग द्वारा ग्राम पंचायत कसार के निम्न गांवो मे ① कसार ② रानम्याखेड़ी ③ रामनगर ④ खानपुरिया के गांवो मे पेयजल हेतु सभी गांवो के क्षेत्र के अन्तर्गत जो भूमि वन क्षेत्र मे आती है। उसमें बोरांबास मण्डाना पेयजल परियोजना के अन्तर्गत पेयजल पाइप लाइन बिछाने के कार्य हेतु ग्राम पंचायत को किसी प्रकार की आपत्ति नही है। इस परियोजना के अन्तर्गत बिछाई जाने वाली पाइप लाइन मे आने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है-

क्र.स.	ग्राम का नाम	प्रस्ताव के अन्तर्गत आने वाली भूमि (वर्गमीटर में)
1.	कसार	807
2.	रानम्याखेड़ी	1452
~~3.~~	~~रामनगर~~	
4.	खानपुरिया	1045.2
		3304.2

इस पाइप लाइन बिछाने हेतु वन विभाग को स्वीकृति जारी करने की अभिशंषा की जाती है।

हीरालाल यादव
सरपंच
ग्राम पंचायत कसार
पं. स. लाडपुरा कोटा

ग्रामसेवक व पदेन सचिव
ग्राम पंचायत कसार
प.स. लाडपुरा कोटा/राज

विजय स्टेशनरी मार्ट आर्य समाज रोड, कोटा मोबा. 9352...

11 प्रपत्र संख्या

बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर

.... पंचायत समिति .... जिला .... वर्ष 200

ग्राम पंचायत ....

बैठक होने की तिथि	बैठक का स्थान	पंच/सरपंच का नाम	उपस्थित सदस्यों का नाम	बैठक की कार्यवाही का विवरण	बैठक में उपस्थित सदस्यों के ह०
1	2	3	4	5	6
...16	अटल सेवा केन्द्र कुसार	श्री सीताराम चावड़ा		आज दिनांक 20/7/16 को ग्राम पंचायत की पाक्षिक बैठक का आयोजन श्रीमान् सीताराम चावड़ा सरपंच साहब की अध्यक्षता में की गई।	सीताराम चावड़ा
			सुनीता मीणा ए.एन.एम.	प्रस्ताव नं. 1 आज दिनांक 20/7/16 को कोरम द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि जलदाय विभाग द्वारा ग्रामपंचायत के निम्न गांवों कुसार व खरन्याखेड़ी रामनगर, खानपुरिया के गांवों में पेयजल हेतु सभी गांवों के क्षेत्र के अन्तर्गत जो भूमि वन क्षेत्र में आती है उसमें बोरखास मण्डाना पेयजल परियोजना के अन्तर्गत पेयजल पाइप लाइन बिछाने के कार्य हेतु	[illegible] सुनी[illegible] [illegible]
			सविता प्रजापति (साथिन)	ग्राम पंचायत को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है इस परियोजना के अन्तर्गत	सविता
			शकुन्तला A.W.W		शकुन्तला
				बिछाई जाने वाली पाइपलाइन में आने वाली भूमि निम्न प्रकार से है 1. कुसार – 807 वर्गमीटर 2. खरखेड़ी – 1452 वर्गमीटर 3. खानपुरिया – 1045.2 वर्गमी. कुल – 3304.2 वर्गमी.	कृष्णमुरारी सोनू
			कमला कुंवर म.प. वार्ड...		[illegible]
			सुनील यादव वार्ड नं. 4	पाइप लाइन बिछाने हेतु वन विभाग को स्वीकृति जारी करने की अभिशंसा की जाती है	सुनीता
			गीतारेखा A.W.W		गीतारेख
			कैलादेवी	सीताराम चावड़ा सरपंच ग्राम पंचायत कसार पं. स. लाडपुरा (कोटा)	कैलादे[illegible]
			राजेश सेन		राजेश से[illegible]

[illegible] कुमार S/o [illegible]लाल   बाबूलाल / पारसलाल

[illegible] कुमार S/o अमरलाल

कैलाश S/o रामा

[illegible]

[illegible] S/o [illegible]लाल

देवलाल / भावसिंह

[illegible] सेन / रामचन्द्र

[illegible]लाल

कार्यालय ग्राम पंचायत कोलाना

पंचायत समिति लाड़पुरा, जिला–कोटा (राज.)

रामकरण गुर्जर

सरपंच

Mob.: 9829455241

क्रमांक : 67 | दिनांक 19/8/15

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत कोलाना ने सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि जलदाय विभाग द्वारा कोलाना ग्राम पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत जो भूमि वन क्षेत्र मे आती है उसमे बनावास मण्डाना पेयजल परियोजना के अन्तर्गत पेयजल पाईप लाईन के कार्य हेतु ग्राम पंचायत को किसी प्रकार की आपत्ति नही है। अतः ग्राम पंचायत के अन्तर्गत वन क्षेत्र मे ग्राम कोलाना, लक्ष्मीपुरा, अमर कुआँ, श्यामपुरा, जेवन-कुई, पचपहाड़ तथा मान्दलिया से सारंगपुर एवं बावडी खेड़ा ग्राम मे पाईप लाईन बिछाने हेतु वन विभाग से स्वीकृति करने की अभिशंषा की जाती है।

यह प्रमाण-पत्र आज दिनांक 19/8/15 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा द्वारा जारी किया गया।

ग्राम सेवक पदेन सचिव
ग्रा. पं. कोलाना
पं. स. लाडपुरा (कोटा)

रामकरण
सरपंच
ग्रा. प. कोलाना
पं. स. लाडपुरा

कार्यालय ग्राम पंचायत कोलाना

ग्राम पंचायत के कोरम द्वारा प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 7-8-15 के द्वारा दिये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र में बोराबास मण्डाना पेयजल परियोजना के अन्तर्गत बिछाई जाने वाली पाईप लाईन आने वाली वन भूमि का विवरण निम्न प्रकार है।

क.स.	ग्राम का नाम	प्रस्ताव क अन्तर्गत आने वाली वन भूमि (वर्गमीटर में)	विशेष विवरण
1.	सांरगपुर	804	प्रस्ताव संख्या 2 के अनुसार
2.	कोलाना	3997.2	
3.	श्यामपुरा	1111.2	
4.	पचपहाड	758.2	
5.	पाचनकुई	2558.4	
	कुल	9229.0	

ग्राम सेवक पदेन सचिव
ग्रा. पं. कोलाना
पं. स. लाडपुरा (कोटा)

रामकरण
सरपंच
ग्रा. प. कोलाना
पं. स. लाडपुरा

प्रपत्र संख्या - 1

बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर

आर. के. भार्गव एण्ड सन्स कोटा

ग्राम पंचायत / न्याय उप समिति .... पंचायत समिति .... जिला ....

बैठक होने की तारीख 1	बैठक का स्थान 2	पंच / सरपंच का नाम 3	उपस्थित सदस्यों का नाम 4	बैठक की कार्यवाही का विवरण 5
19/1/2017	ग्रा.पं. कोलाना	श्री रामकरण गुर्जर		(3) जलदाय विभाग की पाईप लाईन डालने हेतु सभी सरपंच महोदय ने कोरम को अवगत कराया कि कोलाना मानलिया पेयजल योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी ग्रामों को पेयजल सप्लाई से जोड़ने हेतु जलदाय विभाग द्वारा जो पाईप लाईन बिछाई जा रही है वो वन भूमि से होकर गुजर रही है अतः ग्रा.पं. की सहमति देकर लाईन डालने की अनुशंषा की जावे ताकि वन विभाग स्वीकृति दे सके। कोरम ने विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से वन भूमि से पाईप लाईन डालने की स्वीकृति की अनुशंषा करने का निर्णय प्रदान किया।

आज दिनांक 19/1/2017 को प.स. लाड. के खण्ड विकास अधिकारी के आदेश क्रमांक नरेगा 665-2016-17 को नरेगा की सामाजिक अंकेक्षण की ग्राम सभा का दिनांक 19/1/2017 को रखी गई है जिसकी अध्यक्षता श्री रामकरण जी गुर्जर सरपंच ने की गई है।

रेखुआंर, रामेड, जगदीश, रामपाल, हेमराज, लालचन्द, सुखदेव, रामपाल, हुकमा, सत्यनारायण, मुकेश [illegible signatures]

ग्राम सेवक पदन सचिव
ग्रा. पं. कोलाना
पं. स. लाडपुरा (कोटा)

रामकरण
सरपंच
ग्रा. प. कोलाना
पं. स. लाडपुरा

रामकरण
सरपंच
ग्रा. प. कोलाना
पं. स. लाडपुरा (कोटा)